माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत अनुपालन प्रत्यावेदन मूल प्रार्थना–पत्र संख्या 343/18 जितेन्द्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश 29–06–2020 के अनुपालन के संबंध में।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना–पत्र संख्या 343/18 जितेन्द्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 29–06–2020 को माननीय अधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

"Consequently, we direct the District Magistrate, Agra to demolish the room and bathroom which are in existence in an area, which is in the east of plot no. 34 of the Colony. The said exercise should be done within three days from today and the expenses incurred on the same shall be recovered from respondent no. 10 in the original application"

उक्त के अनुपालन में दिनांक 02–07–2020 को स्थल पर अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम), अधीक्षण अभियंता आगरा विकास प्राधिकरण एवं पशु चिकित्साधिकारी नगर निगम आगरा, थानाध्यक्ष सिकन्दरा मय पुलिसबल एवं प्राधिकरण सचल दस्ता एवं प्रवर्तन–अनुभाग के अभियन्ताओं के साथ उपरोक्त वर्णित कमरा एवं बाथरूम को ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान स्थल पर लिए गये फोटोग्राफ संलग्न है।

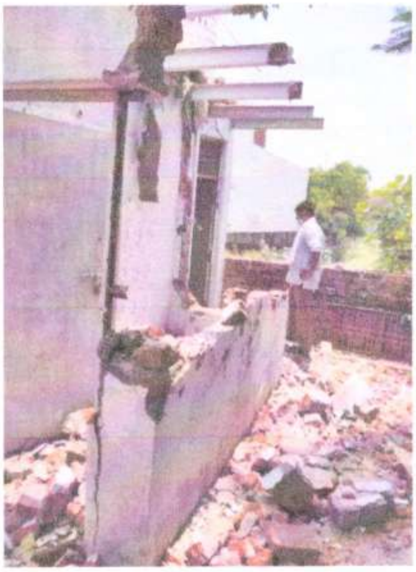

माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि "भविष्य में पार्क की भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा न करने पाए और इसकी पुनरावृति न हो एवं अन्यथा की दशा में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने संबंधी इस कार्यालय पत्र संख्या 2549/ओ0एस0डी0 दिनांक 30–06–2020(छायाप्रति संलग्न) द्वारा नगर निगम एवं आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

संलग्नकः–यथोक्त

2/7/2020
जिलाधिकारी,
आगरा।

कार्याल जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या 6718/राजस्व सहायक–2 दिनांक 02जुलाई, 2020

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2/7/2020
जिलाधिकारी,
आगरा।

मा‍ननीय न्यायालय प्रकरण
<u>अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध</u>

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।

संख्याः 2549 / ओएसडी — दिनांक 30 जून, 2020

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना–पत्र संख्या 343 / 18 जितेन्द्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–06–2020 के अनुपालन हेतु।

1. **नगर आयुक्त**, नगर निगम, आगरा।
2. **सचिव**, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. **अपर जिलाधिकारी (नगर)**, आगरा।

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना–पत्र संख्या 343 / 18 जितेन्द्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 09–06–2020 को मा0 अधिकरण द्वारा निम्न आदेश (छायाप्रति संलग्न) पारित किये गये हैं :–

"However, a bare reading of the inspection report clearly mention about the illegal construction as follow: "इस कालौनी में स्थित भूखण्ड संख्या–34 के बगल में स्थित पार्क का क्षेत्रफल 259.6 वर्गमीटर है, जिसमें पूर्व की ओर लगभग 15 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण कर कमरा एवं बाथरूम विद्यमान है।" Therefore, it is prima-facie established that illegal pakka construction is very much present in the designated green belt which needs to be removed immediately.

Consequently, we direct the District Magistrate, Agra to demolish the room and bathroom which are in existence in an area, which is in the east of plot no. 34 of the Colony. The said exercise should be done within three days from today and the expenses incurred on the same shall be recovered from respondent no. 10 in the original application.

Before parting with this order, taking into consideration the facts and circumstances of the case which was initiated in the year 2018 and various orders passed from time to time, we direct the Collector Agra to ensure that no illegal construction or cattle shed or operation of dairy farm are raised/takes place in the area of green belt in future. It has been categorically stated in the report that there is no shelter shed or cattle farm, as of now. Therefore, he shall ensure that there shall be no raising of illegal construction including shelter for cattle or cattle farm, by having inspections conducted. In case of putting up of cattles or raising of cattle shed in the area in question, it shall be personal responsibility of Collector Agra and liable for non-compliance of the order of the Tribunal.

A compliance report with regard to demolition of aforesaid pucka construction shall be send by the District Magistrate to the Tribunal by 06th July, 2020".

अतः उक्त टीम को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–06–2020 के अनुपालन में प्रश्नगत रामाजीधाम कालौनी में स्थित भूखण्ड संख्या–34 के बगल में स्थित पार्क क्षेत्रफल 259.61 वर्गमीटर के पूर्व की ओर लगभग 15 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण कर बनाये गये कमरा एवं बाथरूम को **प्रत्येक दशा में दिनांक 02–07–2020 तक** हटाया जाना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में पार्क की भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा न करने पाए और भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो। अन्यथा की दशा में आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः—यथोक्त

30/6/2020

जिलाधिकारी,
आगरा।